प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक/ 220/ 2009

अपीलार्थीगण रंजीत मैत्री एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए ।

श्री वैभव गोवर्धन पैनल अधिवक्ता प्रत्यर्थी/ राज्य हेतु ।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अन्तर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(05.03.2011)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 07/2008 में दिनांक 27.2.2009 को दिए गए निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसमें आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक

-1 को धारा 506-ख, 363, 342 एवं 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया एवं उसे धारा 506-ख के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास, धारा 363 के तहत 500 रुपये के अर्थदण्ड के साथ सात वर्ष के कठोर कारावास, धारा 342 के तहत 1000 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत 1000 रुपये के अर्थदण्ड के साथ दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया; एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 को धारा 506-क, 363 एवं 342 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया एवं उसे धारा 506-क के तहत 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 363 के तहत 500 रुपये के अर्थदण्ड के साथ सात वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 342 भारतीय दंड संहिता के तहत 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, साथ ही व्यतिक्रम की शर्तो को भी लागू किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 31.8.2007 को लगभग 12.30 बजे, पीड़िता (अ.सा.-1) जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी, ने प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी.-1 पंजीबद्ध कराया, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 24.8.2007 को वह अपनी चाची कलावती (अ.सा.-5) के साथ गांव के तालाब पर गई थी एवं जब उसकी चाची उस तालाब में नहा रही थी, तो वह नहाने के घाट पर बैठी हुयी

थी। उसी समय आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 रंजीत वहां आया एवं उसे रायगढ़ चलने के लिए कहा एवं जब उसने इंकार किया, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया। इसके पश्चात्, आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 2 सनातन चौहान भी वहां आया एवं उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, किंतु उसने उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इस पर, उसने भी उसे गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात्, आरोप यह है कि दोनों आरोपी/अपीलार्थी उसे घसीटने लगे एवं जब उसने शोर मचाया, तो उन्होंने उसका मुंह दबाया एवं उसे किसी बूढ़े आदमी के रिक्त मकान में ले गए एवं वहां उसे फेंकने के पश्चात् उन्होंने कमरा को बाहर से बंद कर दिया एवं उसे रात 9.30 बजे वापस आने को कहा। फिर लगभग 9.30 बजे दोनों वापस आए एवं उसे भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन ले गए एवं ट्रेन में बिठा दिया। इसके पश्चात, आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक-2 सनातन उस स्थान से चला गया, जबकि आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 रंजीत उसे रायगढ़ में अपनी बहन के मकान ले गया, जहाँ उसकी बहन मोना एवं जीजा संत लाल थे। आरोप है कि रात्रि में जब उसकी बहन मोना एवं जीजा संत लाल सो गए, तो आरोपी/ अपीलार्थी क्रमांक 1 रंजीत ने बल पूर्वक यौन संबंध स्थापित किया । आरोप है कि सुबह उसने उससे भूपदेवपुर ले जाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का अनुरोध किया एवं जब उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया, तो उसने उससे अपनी मौसी के घर बरौध छोड़ने के लिए कहा। इसके पश्चात्, सुबह करीब 6 बजे वह एवं आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 पैदल बस स्टैंड गए एवं बस पकड़कर वे सुबह करीब 8.30 बजे बरौध पहुँचे। यह भी आरोप है कि चूंकि आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उससे बलात्कार की घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताने के लिए कहा था, इसलिए उसने उसे अपनी मौसी से अपने मामा के रूप में मिलवाया एवं नाश्ता करने के पश्चात् वह उसके मौसी के मकान से चला गया। आरोप है कि वह दिनांक 25.8.2007 से दिनांक 27.8.2007 तक बरौध में अपनी मौसी के मकान में रुकी थी एवं दिनांक 28.8.2007 को वह भूपदेवपुर गांव वापस आई एवं दिनांक 30.8.2007 को उसने यह घटना अपनी बहन माया एवं मौसी चरणमती को बताई एवं फिर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी/अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 324, 363 एवं 376/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए। जांच के पश्चात्, पुलिस ने दिनांक 28.10.2007 को अभियोग पत्र पेश किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 19 साक्षियों का परीक्षण करवाया। अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अनुसार पंजीबद्ध किए गए जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से इनकार किया एवं प्रकरण में अपने निर्दोष एवं झूठे फँसाये जाने का अभिवाक किया।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थियों को दोषी ठहराया एवं ऊपर दर्शाए अनुसार दण्डित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध वस्तुयें, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल है, का अध्ययन किया।

6. अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जहां तक अपीलार्थी क्रमांक-2 सनातन चौहान का संबंध है, उसे सिर्फ़ इतनी भूमिका दी गई थी कि पहले वह पीड़िता से तालाब के पास मिला एवं उसे अपने साथ चलने को कहा एवं जब उसने इंकार किया, तो वह आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 रंजीत के साथ उसे पास के एक रिक्त मकान में ले गया एवं रात्रि में दोनों उसे भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन ले गए एवं फिर वह वहां से

चला गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, इस परिस्थिति में, आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 2 को धारा 506-A, 363 एवं 342 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि कानून की दृष्टि में उचित नहीं है। आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 रंजीत के संबंध में, अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता अपनी सहमति से साथ थी क्योंकि वह उसके साथ कई स्थानों पर गई किन्तु उसने कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता लगभग 7 दिनों तक चुप रही, जिससे स्वतः ज्ञात होता है कि वह आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक -1 के कार्य में सहमत थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिपोर्ट पीड़िता ने मोहर सिंह (अ.सा.-3) एवं चरणमती (अ.सा.-2) के कहने पर पंजीबद्ध कराया था, जो उसके चाचा एवं चाची हैं एवं जिनके साथ वह रह रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 30.8.2007 को मोहर सिंह एवं आरोपी/अपीलार्थियों के मध्य कुछ विवाद हुआ था एवं मोहर सिंह (अ.सा.-3) द्वारा पंजीबद्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी/अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उसी दिन उन्हें व्यक्तिगत अनुबंध पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दूसरे दिन यानी दिनांक 31.8.2007 को इस प्रकरण में पीड़िता ने एक झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराया था। उन्होंने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तर्क दिया कि पीड़िता का उचित उम्र सिद्ध करने हेतु अभिलेख पर कोई विधिक रूप से मान्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आर. जितपुरे (अ.सा.-16) की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की उम्र लगभग 15 से 17 वर्ष के मध्य थी, जिसमें दोनों ओर दो वर्ष का अंतराल हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ तक विद्यालय के पंजिका में की गई प्रविष्टि का प्रश्न है, इसे न तो विद्यालय के अध्यापक, न ही पीड़िता के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने सिद्ध किया है जिसने उसे विद्यालय में दाखिला कराया हो। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त विद्यालय पंजिका में पीड़िता के पिता का नाम कन्हैया लाल लिखा है, जबकि यह माना जाता है कि उनका नाम झाडूराम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य हेतु उपस्थित अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है एवं तर्क दिया कि पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसे संभोग हेतु विवश किया गया था। इसके अलावा, पीड़िता का आचरण भी बहुत स्वाभाविक है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसा कि आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 ने उसे धमकी दी थी, कि वह दिनांक 24.8.2007 से 30.8.2007 तक अपनी आवाज नहीं उठा सकती। इन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्यालय के

दाखिल पंजी में उल्लिखित पीड़िता की आयु रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है एवं इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि घटना के दिनांक पर पीड़िता नाबालिग थी ।

8. पीड़िता (अ.सा.-1) ने अपने कथन में बताया है कि उसने कक्षा पाँचवी तक पढ़ाई की थी एवं घटना के दिनांक से पिछले वर्ष उसने विद्यालय छोड़ दिया था। उसके अनुसार, वे तीन भाई-बहन हैं एवं उसकी बड़ी बहन शादी के पश्चात कोरबा में निवास करती थी। इस साक्षी के अनुसार, घटना के दिन वह अपनी चाची कलावती (अ.सा.-5) के साथ गांव के तालाब पर गई थी, जहां आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक-1 आया एवं उसे गाली देने लगा। फिर दोनों आरोपी/अपीलार्थी उसे एक बूढ़े आदमी के रिक्त मकान में ले गए एवं उसे वहां छोड़ दिया। रात करीब 9 बजे वे उसे बाहर ले गए एवं बिलासपुर स्टेशन ले जाकर उसे ट्रेन में बिठा दिया। इसके पश्चात् , इस साक्षी के अनुसार, आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक-2 उस जगह से चला गया। फिर आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 उसे रायगढ़ में अपनी बहन के मकान ले गया, जहाँ रात्रि में जब उसकी बहन एवं जीजा सो गए, तो उसने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उसने बताया है कि हालाँकि उसने शोर मचाया, किंतु उसकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था एवं वह बेहोश हो गई। उसके अनुसार, फिर वह सुबह जल्दी उठी एवं रोने लगी, जिस पर आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 की बहन मोना उसके पास आई, जिससे उसने उसे उसके मकान छोड़ने का अनुरोध किया। जब आरोपी/अपीलार्थी की बहन ने उसे भूपदेवपुर छोड़ने से इंकार कर दिया, तो उसने उससे बरौध में अपनी मौसी के मकान छोड़ने का अनुरोध किया। फिर आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 उसे बस से बरौध ले गया एवं उस समय भी उसने उसे धमकी दी थी कि वह यह घटना किसी को न बताए, नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। बरौध पहुँचने पर, जब उसकी चाची ने उससे आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक - 1 के बारे में पूछा, तो उसने उसे रिश्ते में अपना चाचा बताया। इसके पश्चात, आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 1 ने नाश्ता किया एवं भूपदेवपुर के लिए निकल गया। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसकी चाची द्वारा आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक -1 के बारे में बार-बार पूछे जाने पर भी उसने यह घटना उन्हें नहीं बताई। इसके पश्चात्, दिनांक 27.8.2007 को उसकी चाची उसे छोड़ने भूपदेवपुर आई थीं। इसके पश्चात् भी, उसने तुरंत किसी को यह घटना नहीं बताई, बल्कि घर लौटने के दो-तीन दिन पश्चात् चरणमती (अ.सा.-2), मायाबाई (अ.सा.-6), मोहर सिंह (अ.सा.-3)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं दिलीप कुमार (अ.सा.-7) को यह घटना बताई एवं फिर रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 पंजीबद्ध कराया । प्रति परीक्षण में, इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बड़ी बहन के पिता का नाम झाडूराम है जो उसकी सगी बहन है। उसने बताया है कि जब पहले दिन आरोपी/ अपीलार्थी उसे ले गए थे, तो वह नहाने के घाट पर बैठी थी एवं यदि कोई गाली दी गई होती, तो उसकी चाची कलावती उसे सुन सकती थीं। उसने बताया कि जिस मकान में आरोपी/ अपीलार्थियों ने उसे छोड़ा था, वहाँ कोई नहीं रहता था एवं उसमें सिर्फ़ छत थी, दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। जब उसे उस मकान में रखा गया, तो उसका मुँह बंद कर दिया गया एवं उसके हाथ-पैर रस्सी से बाँध दिए गए। उसके अनुसार, उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई थीं, किन्तु यदि वे वहाँ लिखी नहीं हैं, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसने बताया कि जिस रिक्त मकान में आरोपी/अपीलार्थियों ने उसे छोड़ा था, वहाँ से वह पैदल चलकर रेलवे स्टेशन तक गई, किन्तु उसने इस घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। उसने ट्रेन के यात्रियों को भी यह नहीं बताया कि आरोपी/अपीलार्थी उसे उठाकर ले गए थे। उसके अनुसार, उसने ट्रेन में पुलिस वालों को देखा, किन्तु उन्हें भी इस घटना के संबंध में नहीं बताया। उसने बस स्टैंड पर भी पुलिस वालों को देखा, किन्तु उन्हें भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस घटना के संबंध में नहीं बताया। उसने माना है कि वह 3-4 दिनों तक गांव बरौध में अपनी मौसी के घर रही थी, किन्तु उसने अपनी मौसी, किसी रिश्तेदार या किसी गांव वाले को बलात्कार के संबंध में कुछ नहीं बताया। हालांकि, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बड़ी बहन माया ने उसकी मौसी को फोन करके उसके बारे में पूछा था एवं उसने बरौध में होने की बात बताई थी एवं फिर उसकी मौसी उसे भूपदेवपुर ले गई थी। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके चाचा मोहर सिंह (अ.सा.-3) एवं मौसी चरणमती (अ.सा.-2) के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण उनके विरुद्ध धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था एवं उन्हें दिनांक 30.8.2007 को गिरफ्तार किया गया था एवं अगले दिन यानी दिनांक 31.8.2007 को व्यक्तिगत मुचलका पर रिहा कर दिया गया था। उसने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट पंजीबद्ध कराते समय उसने उसे पढ़ा नहीं था एवं सिर्फ उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसने आगे कथन किया है कि उसे न तो अपनी जन्मतिथि ज्ञात है एवं न ही अपनी बड़ी बहन की। अपने कथन के कंडिका-18 में उसने कहा है कि उसके पिता का नाम झाडूराम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चरणमती (अ.सा.-2) ने अपने कथन में कहा है कि पीड़िता उसके साथ रह रही थी एवं जब वह अपने कार्य स्थल से घर लौटी, तो पीड़िता वहाँ नहीं थी। इसके पश्चात् गाँव में उसकी खोजबीन की गई एवं अगले दिन उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई एवं तीसरे दिन उसे पीड़िता की बड़ी बहन से ज्ञात हुआ कि वह अपनी मौसी सुमित्रा (अ.सा.-14) के मकान बरोध में थी एवं उसके लगभग तीन दिन पश्चात् सुमित्रा पीड़िता के साथ उसके मकान आई थी। दो दिन पश्चात्, पीड़िता ने उसे बताया कि आरोपी/अपीलार्थी ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि पीड़िता के पिता का नाम झाडूराम है। उसने स्वीकार किया है कि उसके पति द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आरोपी/अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दिनांक 30.8.2007 को पंजीबद्ध किया गया था एवं दूसरे दिन यानी दिनांक 31.8.2007 को उन्हें स्वयं के मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। इस साक्षी के अनुसार, रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने हेतु पीड़िता को वह, उसका पति एवं उसकी बहन पुलिस थाना ले कर गए थे एवं उसके पति द्वारा लिखी गई शिकायत पर पीड़िता के हस्ताक्षर लिए गए थे। इस साक्षी ने आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक- 2 के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोहर सिंह (अ.सा.-3) ने लगभग वैसा ही कथन दिया है जैसा उसकी पत्नी चरणमती (अ.सा.-2) ने दिया है। कंडिका- 2 में उसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसी ने एवं उसके भाई ने दर्ज कराई थी। उसने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के घर पहुंचने के दो दिन पश्चात्, उसने आरोपी/अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक रिपोर्ट पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें उन्हें स्वयं के मुचलके पर रिहा कर दिया गया था एवं रिहाई के पश्चात् आरोपी/अपीलार्थियों ने उससे प्रश्न किया था कि उसने उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई। इसके पश्चात्, दूसरे दिन पीड़िता के हस्ताक्षर लेने के पश्चात् आरोपी/अपीलार्थियों के विरुद्ध इस प्रकरण की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई। उसने स्वीकार किया है कि पीड़िता के हस्ताक्षर कई कागजों पर लिए गए थे एवं इसी तरह उसकी पत्नी के अंगूठे के निशान भी लिए गए थे। उन्होंने बताया है कि पीड़िता के पिता का नाम झाडूराम है। झाडूराम (अ.सा.-4) ने अपने कथन में कहा है कि पीड़िता उनकी बेटी है, किन्तु वह उसकी जन्मतिथि के संबंध में कुछ नहीं कह सकता। कलावती (अ.सा.-5) - पीड़िता की चाची, जिसके साथ वह गांव के तालाब पर गई थी, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया एवं उसे पक्षद्रोही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घोषित कर दिया गया। माया बाई (अ.सा.-6) ने लगभग वैसा ही कथन दिया है जैसा चरणमती (अ.सा.-2) एवं मोहर सिंह (अ.सा.-3) ने दिया है। उसने भी स्वीकार किया है कि उसे पीड़िता की जन्मतिथि या अपनी जन्मतिथि के संबंध में मालूम नहीं था। दिलीप कुमार (अ.सा.-7) - पीड़िता के जीजा ने भी वैसा ही कथन किया है जैसा चरणमती (अ.सा.-2), मोहर सिंह (अ.सा.-3) एवं माया बाई (अ.सा.-6) ने कथन किया है। हालांकि, प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उस दिन तक उसने पीड़िता से घटना के संबंध में कुछ भी नहीं पूछा था एवं न ही उसने उसे कुछ बताया था। मोना डेहरी (अ.सा.-8) - आरोपी/अपीलार्थी रंजीत की बहन ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है एवं उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। संत लाल (अ.सा.-9) - मोना (अ.सा.-8) के पति ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है एवं उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। रूप सिंह (अ.सा.-10) ने आरोपी/ अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है। घुरौ राम सिदार (अ.सा.-11) वह साक्षी है जिसने नजरी नक्शा प्रदर्श पी-8 को तैयार किया था। यशवंत सिंह ठाकुर (अ.सा.-12) पटवारी हैं जिन्होंने घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी-7. तैयार किया था। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस मकान पर पीड़िता को पहले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी/अपीलार्थियों द्वारा रखा गया था, वहाँ कोई दरवाजा या खिड़की नहीं थी। जी.आर. बरेथ (अ.सा.-13) प्रदर्श पी-18 एवं प्रदर्श पी-19 के अनुसार जब्त किए गए वस्तुओं का साक्षी है। उन्होंने बताया कि दाखिल पंजी के क्रमांक 5820 पर पीड़िता का नाम दर्शाया गया है, किंतु उसके पिता का नाम कन्हैया लाल दर्शाया गया है एवं उसकी जन्मतिथि 4.11.1994 दर्शायी गई है। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि पीड़िता के पिता का नाम झाडूराम है एवं कन्हैया लाल उसके पालक पिता हैं। सुमित्रा बाई (अ.सा.-14) - जो पीड़िता की चाची हैं एवं जिनके साथ पीड़िता 3-4 दिन तक रही थी, उन्होंने बताया है कि पीड़िता ने उन्हें घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया एवं वह उसे भूपदेवपुर ले आई थीं। हालांकि, इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। राजेश कुमार साहू (अ.सा.-15) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। डॉ. आर. जितपुरे (अ.सा.-16) वह रेडियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पीड़िता का एक्स-रे किया था एवं अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 दी थी, जिसमें कहा गया था कि उस समय उसकी उम्र 15 से 17 वर्ष के मध्य थी, जिसमें दोनों तरफ दो वर्ष का अंतराल हो सकता है। एम.आर. कश्यप (अ.सा.-17) ने आरोपी/अपीलार्थियों के विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा है। आर.बी. सिंह (अ.सा.-18) विवेचक हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। डॉ. (श्रीमती) ललिता राठिया (अ.सा.-19) वह साक्षी हैं जिन्होंने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-25-क दिया है। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने पीड़िता के बाएं पैर एवं दाहिने घुटने पर कुछ चोटें देखीं एवं उसका हाइमन फटा हुआ था, वहां जमा हुआ खून मौजूद था एवं दो उंगलियां मुश्किल से उसकी वजाइना में जा रही थीं। उन्होंने आगे यह भी अभिमत दिया है कि पीड़िता ने 7 दिनों के अन्तर्गत संभोग किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध वस्तुओं से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि विद्यालय पंजी में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 4.11.1994 लिखी है, किन्तु अभियोजन पक्ष उस इंदराज को करने वाले स्कूल शिक्षक या पीड़ित लड़की के माता-पिता का परीक्षण करके यह सिद्ध करने में असफल रहा। जब तक उस आधार की पुष्टि नहीं हो जाती जिसके आधार पर पीड़िता के विद्यालय पंजी में जन्मतिथि दर्ज की गई है, तब तक इस संबंध में विद्यालय पंजी में की गई इंदराज की कानून के दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, पीड़िता के पिता के नाम में भी गड़बड़ी है, क्योंकि कहीं उनका नाम झाडूराम लिखा है और कहीं कन्हैया लाल। रेडियोलॉजिकल के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि

पीड़िता की उम्र 15 से 17 वर्ष के मध्य है एवं यदि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा बताए गए दो वर्ष का अंतर जोड़ दिया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संबंधित समय पर पीड़िता बालिग़ थी। इसके अलावा, पीड़िता ने स्वतः कथन किया है कि कक्षा पाँच तक पढ़ाई करने के पश्चात् उसने वर्ष 2000 में विद्यालय छोड़ दिया था एवं यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए, तो उस समय पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष मानी जा सकती है। इस तरह, उसकी उम्र के सम्बन्ध में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा है कि घटना के दिनांक को पीड़िता नाबालिग थी। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि बिना दरवाज़े या खिड़की वाले रिक्त मकान में ले जाने के पश्चात्, पीड़िता के समक्ष वहाँ से भाग निकलने का पूर्ण अवसर था। दूसरी बात, उस रिक्त मकान से वह पैदल चलकर रेलवे स्टेशन गई, किंतु रास्ते में मिले किसी भी व्यक्ति को उसने घटना के सम्बन्ध में नहीं बताया। पीड़िता ने स्वतः कथन किया है कि बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर उसने पुलिस वालों को देखा था, किंतु उसने उन्हें भी घटना के सम्बन्ध में बताने की ज़हमत नहीं उठाई। इतना ही नहीं, उसने ट्रेन में उपस्थित यात्रियों को भी घटना के सम्बन्ध में नहीं बताया। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि पीड़िता गांव बरौध में अपनी मौसी के घर रुकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी, किंतु वहां भी उसने अपनी मौसी या रिश्तेदारों को बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में नहीं बताया। भूपदेवपुर लौटने के पश्चात् भी उसने दो दिन बाद इस घटना के सम्बन्ध में बताया। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि रिपोर्ट उसके चाचा के कहने पर पंजीबद्ध कराई गई थी, जिनका आरोपी/अपीलार्थियों के साथ कुछ विवाद था, जिसके लिए धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके अलावा, रिपोर्ट पर पीड़िता ने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों को एक साथ अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि सुसंगत के समय पीड़िता नाबालिग थी। दूसरा, आरोपी/अपीलार्थियों द्वारा ले जाए जाने के दौरान उसका कोई शोर-शराबा न करना और बारौध में अपनी चाची को बलात्कार की घटना के संबंध में न बताना जहाँ वह 3-4 दिन रही एवं फिर भूपदेवपुर में भी उसने दो दिन तक चुप्पी साधे रखी, इससे यह ज्ञात होता है कि वह आरोपी/अपीलार्थी के कृत्य में सहमति देने वाली पक्ष थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थियों को अभियोजित करने एवं दण्डित करते समय साक्षियों के साक्ष्यों पर

गंभीरता से विचार नहीं किया। इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

11. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। आरोपी/अपीलार्थियों को उन पर अधिरोपित किये गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वे कारावास में निरुद्ध हैं एवं यदि किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें अविलंब रिहा कर दिया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur